



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218951
CG-DL-E-28032020-218951

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1089]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/चैत्र 8, 1942

No. 1089]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

का.आ. 1225(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) 2017, अनुसूची -1 (आयात नीति) के अध्याय 7 की मदों के लिए साल 2020-2021 का कोटा एतद्वारा निम्नवत अधिसूचित करती है -

एक्जिम कोड	मद विवरण	आयात नीति	वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए कोटा
0713 10 10	पीली मटर	प्रतिबंधित	1.5 लाख मी.टन (मटर की प्रत्येक श्रेणी की मात्रा जल्द ही अधिसूचित की जाएगी)
0713 10 20	हरी मटर	प्रतिबंधित	
0713 10 90	अन्य	प्रतिबंधित	
0713 31 90	मूंग (एसपीपी के बीन्स विग्रा रेडियाटा (एल) विल्लेक)	प्रतिबंधित	1.5 लाख मी.टन
0713 60 00	पिजन पीज (कैजेनस कैजन) तूर दाल	प्रतिबंधित	4 लाख मी.टन

2. अधिसूचना संख्या 37 दिनांक 18 दिसंबर, 2019 द्वारा अधिसूचित रु. 200 / की न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) और केवल कोलकाता समुद्री बंदरगाह के माध्यम से पोर्ट प्रतिबंध जैसी आयात नीति की शर्तें, सभी मटर के लिए (07131010, 07131020 और 07131090) अपरिवर्तित रहेंगी।

3. उपरोक्त कोटा प्रतिबंध किसी द्विपक्षीय या क्षेत्रीय करार या समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात संबंधी प्रतिबद्धता पर लागू नहीं होगा।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी। वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए उपरोक्त कोटा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार केवल मिलर्स / रिफाइनर को आवंटित किया जाएगा।

[फा. सं. 14/3/2018-ईपी(एग्री-III)(pt.)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, सयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी 2017 के का.आ. संख्या 172(अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-20 के तहत जारी की गई थी और उसमें पिछला संशोधन दिनांक 17 मार्च, 2020 भारत के राजपत्र असाधारण के का.आ. संख्या 1122(अ) के तहत अधिसूचना संख्या 14/3/2018-ईपी(एग्री-III) दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2020

S.O. 1225(E).—In exercise of powers conferred by section 3 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the annual quota for the fiscal year 2020-21 for the items of Chapter 7 of the Indian Trade Classification (Harmonized System), 2017, Schedule-1 (Import Policy), as under :

Exim Code	Item Description	Import Policy	Quota for fiscal year 2020-2021
0713 10 10	Yellow Peas	Restricted	1.5 lakh MT (the quantity of each category of peas will be notified shortly)
0713 10 20	Green Peas	Restricted	
0713 10 90	Other	Restricted	
0713 31 90	Moong (Beans of the SPP Vigna Radiata (L.) Wilczek).	Restricted	1.5 lakh MT
0713 60 00	Tur/Pigeon peas (Cajanus cajan)	Restricted	4 lakh MT

2. The import policy conditions such as Minimum import price (MIP) of Rs.200/ and port restriction through Kolkata sea port only for all peas (07131010, 07131020 & 07131090) as notified *vide* Notification No. 37, dated 18th December, 2019 remain unchanged.

3. The above quota restriction will not apply to Government's import commitments under any bilateral/regional Agreement/Memorandum of Understanding.

4. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette. The above mentioned quota for the fiscal year 2020-2021 shall be allotted only to millers / refiners as per detailed procedure to be notified by Directorate General of Foreign Trade.

[F. No. 14/3/2018-EP (Agri.III) (pt.)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note : The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended *vide* notification No. 14/3/2018-EP (Agri.III) published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 1122(E), dated the 17th March 2020.